(209)

म/निग0/2018/0052

(316)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवाम0प्र0।

विलोपित/ विलोपित/ विलोपित/ विलोपित

1- राघवेन्द्र कुमार जायसवाल तनय श्री विधाता प्रसाद जायसवाल उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम व पोस्ट उल्ही खुर्द थाना व तहसील मनगवाँ जिला रीवाम0प्र0

------------- निगरानी कर्ता ।

बनाम

1- कोमल सिंह तनय श्री लखपती सिंह

2- जितेन्द्र सिंह तनय श्री लखपती सिंह

3- श्रीमती संतोष सिंह पति श्री लालबहादुर सिंह पिता श्री लखपती सिंह

4- धर्मेन्द्र सिंह तनय श्री लखपती सिंह

------- सभी निवासी ग्राम/ पोस्ट उल्ही खुर्द थाना व तहसील - मनगवाँ जिला रीवा म0प्र0 ।

------- अनावेदक गण ।

प्रस्तुतकर्ता अभिभाषक श्री अवधेश सिंह एड0 द्वारा पेश/ 23.12.17

23/12/17

कलर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान द्वारा प्र0क्र0 34अ27/2016-17 मे पारित आदेश दि0 07-12-17 के विरुद्ध निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 भू0रा0 संहिता ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार :-

1- अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-12-17 विधि विरुद्ध होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है, उनके द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन स्वीकार करने के जो आधार वर्णित किए गये हैं वे प्रकरण की सम्पूर्ण परिस्थितियों के आलोक में सही नही ठहराए जा सकते हैं ।

2- प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य रहा है कि लखपती सिंह की मृत्यु बहुत पहले हो गयी थी ,उनकी पुत्री श्रीमती संतोष सिंह विवाह के बाद से ही अपने ससुराल ग्राम कोठी मे रहती है, लगभग 20 साल पूर्व से उसका विवादित भूमियों मे कभी कब्जा-दखल नही रहा है । ग्राम मनिकवार स्थित आराजी नं0- 1/2 रकबा 0-121 हे0 तथा 2/2 रकबा 1-011 हे0 पहले लखपती सिंह की पत्नी

M

क्र0 ----

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2018 / 0052 जिला–रीवा

रावेन्द्र कुमार / कोमल सिंह

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अवधेश सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रायपुर कर्चु0 के प्रकरण क्रमांक 34 / अ–27 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	